राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 899वी बैठक दिनांक 26.09.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 899वी बैठक दिनांक 26.09.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P-2/434/2024	1(a)	रायसेन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त किया जाये।
2.	P-2/425/2024	1(a)	रायसेन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त किया जाये।
3.	P-2/1124/2024	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
4.	P-2/660/2024	1(a)	सीहोर	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त किया जाये।
5.	P-2/663/2024	1(a)	सीहोर	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त किया जाये।
6.	P-2/666/2024	1(a)	सीहोर	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त किया जाये।
7.	P-2/463/2024	1(a)	सिवनी	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
8.	P-2/464/2024	1(a)	सिवनी	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
9.	P-2/403/2024	1(a)	कटनी	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
10.	P-2/394/2024	1(a)	कटनी	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
11.	11272/2024	1(a)	कटनी	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

12.	P-2/461/2024	1(a)	राजगढ़	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
13.	P-2/456/2024	1(a)	राजगढ़	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त किया जाये।
14.	P-2/454/2024	1(a)	राजगढ़	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	P-2/448/2024	1(a)	राजगढ़	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा						
16.	P-2/1672/2025	1(a)	विदिशा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

1. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/477774/2024, Case No P2/434/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Operncast manual method) in an area of 6.000 hectare, for production capacity of 72000 cum per annum, Khasra No.- 51, in Village - Kotparmahant -1 , Tehsil - Bareli, District - Raisen (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Satendra Singh Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 795 वी बैठक दिनांक 21.05.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"...... प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, भोपाल का पत्र कमांक 809 दिनांक 24/04/2025 प्रस्तुत किया पत्र में लेख है कि खसरा कमांक 51, रकबा 6.0 हे. क्षेत्र पर रेत खदान कोटपारमहंत–1, तहसील बरेली, जिला रायसेन पर खनिज रेत खदान स्वीकृत है। उक्त खसरा के स्वीकृत क्षेत्र से नर्मदा नदी पुल की दूरी 500 मी. के अन्दर है जिसमें रेत उत्खनन में विभाग को आपत्ति है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में समिति ने निर्णय लिया कि पर्यावरणीय संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया जा सकता।'

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 795 वी बैठक दिनांक 21.05.2025 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

2. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/477786/2024, Case No P2/425/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Operncast manual method) in an area of 10.000 hectare, for production capacity of 120000 cum per annum, Khasra No.- 51, in Village - Kotparmahant -अ , Tehsil - Bareli, District - Raisen (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Satendra Singh Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 795 वी बैठक दिनांक 21.05.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

"...... समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि अपस्ट्रीम दिशा में 471 मी. पर एक मेजर रोडब्रिज (NH-19) स्थित है। अतः सेंड माईनिंग गाईडलाईन वर्ष 2016 एवं 2020 में निर्धारित दूरी छोड़ने पर रेत खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में समिति ने निर्णय लिया कि पर्यावरणीय संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया जा सकता।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 795 वी बैठक दिनांक 21.05.2025 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

3. **Proposal No.: SIA/MP/INFRA2/522930/2025,Case No: P2/1124/2025 Shri O.P Kriplani, Director, M/s Asnani Builders and Developers E-7/659 Arera Colony, Near P.N.B Bank Bhopal, (M.P.) - 462011.Prior Environment Clearance for Proposed "Aashima Anupama City Phase II" Development of Plotted Housing (Residential flat) at Khasra no. 129/4, 129/9, 130/1, 131/1/1, 131/2, 131/3/1, 131/4/2, 132/1/5, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2 140 at Village – Katara, Tehsil – Kolar, District – Bhopal, (M.P.).**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 795 वी बैठक दिनांक 21.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण किया गया। प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाए–

1. परियोजना स्थल पर पूर्व में किए गए निर्माण अथवा विकास गतिविधियों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक (PP) द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।
2. **External Sewage Treatment Plant (STP)** का निर्माण किया जाना प्रस्तावित करें तथा इसके संबंध में विस्तृत जानकारी (क्षमता, प्रक्रिया, स्थान, तकनीकी विवरण आदि) प्रस्तुत करें।
3. जल आपूर्ति के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। निर्माण के दौरान उपयोग में आने वाले जल की आपूर्ति कहां से की जायेगी, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
4. जल गुणवत्ता प्रबंधन (**Water Quality Management**) व्यवस्था स्पष्ट नहीं है इसके संबंध में विस्तृत एवं व्यवस्थित जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
5. पीने योग्य जल की बायोलॉजिकल, फिजिकल एवं केमिकल गुणवत्ता स्पष्ट नहीं है।
6. परियोजना स्थल पर भू–जल पर प्रभाव व उसके संबंध में सक्षम अधिकारी का पत्र प्रस्तुत करें।
7. प्रस्तावित भवन/परियोजना हेतु अग्निशमन विभाग (Fire Department) से जारी अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र (Fire NOC) प्रस्तुत किया जाए।
8. Liquid Waste Disposal की क्या व्यवस्था है स्पष्ट करें। प्रस्तावित परियोजना हेतु तरल अपशिष्ट निपटान के लिए सक्षम प्राधिकरण से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत किया जाए।
9. Solid Waste Disposal हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
10. परियोजना से संबंधित आवश्यक समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
11. बिजली व्यवस्था के लिए कंपनी की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
12. भवन निर्माण के दौरान अर्थवर्क कितना निकलेगा एवं उसके डिस्पोज की क्या व्यवस्था है। स्पष्ट करें।

(दीपक आर्य) (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) (शिव नारायण सिंह चौहान)

13. परियोजना निर्माण श्रमिकों का स्वास्थ्य और सुरक्षा की क्या व्यवस्था है स्पष्ट करें।
14. प्रस्तावित CSR गतिविधियों का विवरण स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाए। इसमें यह उल्लेख हो कि ये कार्य कहाँ, कैसे और किस प्रकार किए जाएँगे तथा इनसे किस वर्ग को और किस प्रकार लाभ मिलेगा। CSR गतिविधियों की विस्तृत एवं प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्रं. 1 से 14 तक की जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त कर एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की WP No. 1394/2023 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2025 में उल्लेखित दिशा निर्देशों के परिपालन में परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

4. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/521164/2024, Case No P2/660/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Operncast manual method) in an area of 16.187 hectare, for production capacity of 291366 cum per annum, Khasra No.- 893/852, 852, in Village - Sardarnagar, Tehsil-Budhni, District -Sehore (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Arjun Shrivastava Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 796 वी बैठक दिनांक 23.05.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"...... समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु किया गया है तथापि वर्तमान में रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति वैध है। ऐसी स्थिति में परियोजना प्रस्तावक ईसी क्षमता विस्तार के अन्तर्गत पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करें अथवा ईसी समाप्ति के पूर्व नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करें तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 796 वी बैठक दिनांक 23.05.2025 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

5. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/520099/2025, Case No P2/663/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Operncast manual method) in an area of 20.995 hectare, for production capacity of 377910 cum per annum, Khasra No.- 263/2/2, in Village - Mahukala, Tehsil-Budhni, District -Sehore (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Arjun Shrivastava Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 796 वी बैठक दिनांक 23.05.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"...... समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु किया गया है तथापि वर्तमान में रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति वैध है। ऐसी स्थिति में परियोजना प्रस्तावक ईसी क्षमता विस्तार के अन्तर्गत पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करें अथवा ईसी समाप्ति के पूर्व नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करें तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं **SEAC की 796 वी बैठक दिनांक 23.05.2025 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबधितों को सूचित किया जाये।**

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) **सदस्य**	(शिव नारायण सिंह चौहान) **अध्यक्ष**

6. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/519914/2025, Case No P2/666/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Operncast manual method) in an area of 20.00 hectare, for production capacity of 360000 cum per annum, Khasra No.- 155/1/1, in Village - Janwasa, Tehsil-Budhni, District -Sehore (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Arjun Shrivastava Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 796 वी बैठक दिनांक 23.05.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"...... समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु किया गया है तथापि वर्तमान में रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति वैध है। ऐसी स्थिति में परियोजना प्रस्तावक ईसी क्षमता विस्तार के अन्तर्गत पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करें अथवा ईसी समाप्ति के पूर्व नवीन पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करें तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 796 वी बैठक दिनांक 23.05.2025 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) **सदस्य**	(शिव नारायण सिंह चौहान) **अध्यक्ष**

7. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/478645/2024, Case No P2/463/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Operncast manual method) in an area of 5.00 hectare, for production capacity of 30000 cum per annum, Khasra No.- 265, 01, in Village - Bagdongri-Devgaon , Tehsil - Keolari, District - Seoni (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Omkar Dubey Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 796वी बैठक दिनांक 23.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत प्रथम दृष्टया निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अधिकृत पर्यावरण सलाहकार एवं परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि एक प्रारंभिक दस्तावेज है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोटराईज्ड शपथ पत्र 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये जाये, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

8. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/478571/2024, Case No P2/464/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Operncast rnanual method) in an area of 4.00 hectare, for production capacity of 6000 cum per annum, Khasra No.- 108, 01, 01, in Village - Khami -Chhapara-Atri , Tehsil - Barghat, District - Seoni (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Omkar Dubey Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 796वी बैठक दिनांक 23.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत प्रथम दृष्टया निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अधिकृत पर्यावरण सलाहकार एवं परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि एक प्रारंभिक दस्तावेज है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोटराईज्ड शपथ पत्र 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये जाये, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

9. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/478777/2024, Case No P2/403/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Operncast manual method) in an area of 8.030 hectare (As per SEAC recommendation minable area is 4.80 ha.), for production capacity of 65000 cum per annum (as per minable area), Khasra No.- 122, in Village - Ghughri , Tehsil - Vijayraghavgarh, District - Katni (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Sushil Pathak Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 796वी बैठक दिनांक 23.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माईन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Stduy प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:–

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total depostion	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth In mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Katni	Ghughri	122	2021-22	8.03	732.20	8.03	1.20	96360	2.70	216810	216810	130086	49595
			2022-23		1035.89	8.03	2.08	167024	3.48	279444	279444	167666.4	33490
			2023-24		1113.10	8.03	3.06	245718	3.67	294701	294701	176821	62950

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 796वी बैठक दिनांक 23.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replnishiment Stduy डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 8.030 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन् योग्य क्षेत्र 4.80 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

10. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/478541/2024, Case No P2/394/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Operncast manual method) in an area of 2.80 hectare (As per SEAC recommendation minable area is 1.00 ha.), for production capacity of 24000 cum per annum (as per minable area), Khasra No.- 911, in Village – Ghunaur-1 , Tehsil - Vijayraghavgarh, District - Katni (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Sushil Pathak Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 796वी बैठक दिनांक 23.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माईन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Stduy प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:–

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth In mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Katni	Ghunaur-1	911	2021-22	2.80	732.20	2.80	0.80	22400	2.40	67200	67200	40320	0
			2022-23		1035.89	2.80	2.40	67200	3.85	107800	107800	64680	0
			2023-24		1113.10	2.80	3.85	107800	4.57	127960	127960	76776	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 796वी बैठक दिनांक 23.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replnishiment Stduy डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 2.80 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन् योग्य क्षेत्र 1.00 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

11. Proposal No.: SIA/MP/MIN/472905/2024, Case No 11272/2023 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Operncast manual method) in an area of 5.20 hectare, for production capacity of 78000 cum per annum, Khasra No.- 328, 956, in Village – Gudeha-Lukampur, Tehsil- Vijayraghavgarh, District - Katni (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Sushil Pathak Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 796 वी बैठक दिनांक 23.05.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

''...... प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान के लीज क्षेत्र से विगत 03 वर्षों में रेत का उत्पादन शून्य है। लीज एरिया महानदी पर स्थित है एवं पत्र में उल्लेख अनुसार निरीक्षण के सामय जल भराव होना पाया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि रेत खदान पानी में डूबे होने की स्थिति में खनन कार्य करना संभव नहीं है एवं विगत 03 वर्षों में रेत का उत्पादन शून्य रहा है अतः ऐसी स्थिति में समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये अनुशंसा योग्य नहीं पाया गया है।''

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 796 वी बैठक दिनांक 23.05.2025 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

12. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/479095/2024, Case No P2/461/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Operncast manual method) in an area of 8.130 hectare (As per SEAC recommendation minable area is 2.00 ha.), for production capacity of 8000 cum per annum (as per SEAC recommendation), Khasra No.- 01, in Village – Aranya , Tehsil - Jirapur, District - Rajgarh (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Shashikant Tiwari Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 796वी बैठक दिनांक 23.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माईन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Stduy प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:–

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Rajgarh	Aranya	1	2021-22	8.13	1279.60	4.5	0.20	9000	0.4	18000	18000	10800	0
			2022-23		1901.39	4.5	0.4	18000	0.58	26100	26100	15660	0
			2023-24		844.20	4.5	0.58	26100	0.75	33750	33750	20250	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 796वी बैठक दिनांक 23.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replnishiment Stduy डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* **अनुसार रोड़ ब्रिज एवं चेक डेम के स्पैन की 05 गुना दूरी तक अप स्ट्रीम तरफ एवं 10 गुना दूरी तक डाउन स्ट्रीम तरफ"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 8.130 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन् योग्य क्षेत्र 2.00 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में ज़िला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

13. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/479056/2024, Case No P-2/456/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Operncast manual method) in an area of 10.800 hectare, for production capacity of 9600 cum per annum, Khasra No.- 01, 351/355, in Village – Ataikheda Dhaturi, Tehsil - Rajgarh, District - Rajgarh (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Shashikant Tiwari Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 796 वी बैठक दिनांक 23.05.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"...... प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान से पूर्वी दिशा में 20 मी. की दूरी पर स्टापडेम एवं पक्का रोडब्रिज 75 मी. पर एवं लीज का पश्चिमी क्षेत्र से एक स्टापडेम लगा हुआ है जिसके परिप्रेक्ष्य में 1.0 कि.मी. का गैर खनन क्षेत्र छोडने पर खनन योग्य क्षेत्र शेष नहीं बचता है। अतः ऐसी स्थिति में समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये अनुशंसा योग्य नहीं पाया गया है।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 796 वी बैठक दिनांक 23.05.2025 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

14. Proposal No.: SIA/MP/MIN/479215/2024, Case No P2/454/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Operncast manual method) in an area of 11.122 hectare (As per SEAC recommendation minable area is 6.27 ha.), for production capacity of 25000 cum per annum (as per SEAC recommendation), Khasra No.- 317, 373, 374, in Village – Dabdi , Tehsil - Rajgarh, District - Rajgarh (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Shashikant Tiwari Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 796वी बैठक दिनांक 23.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माईन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Stduy प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:–

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Rajgarh	Dabdi Sand mine	317, 373, 374	2021-22	11.122	1279.60	11.122	0.25	27805	0.4	44488	44488	26692.8	0
			2022-23		1901.39	11.122	0.40	44488	0.72	80078.4	80078.4	48047.04	0
			2023-24		844.20	11.122	0.72	80078.4	0.9	100098	100098	60058.8	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 796वी बैठक दिनांक 23.05.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02. 2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replnishiment Stduy डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* **अनुसार रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक "** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 11.122 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन् योग्य क्षेत्र 6.27 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

15. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/478835/2024, Case No P2/448/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method) in an area of 18.770 hectare, for production capacity of 45048 cum/year at Khasra No.- 01, 158, Village - Village – Ganeshpur , Tehsil - Rajgarh, District - Rajgarh (MP), The MP State Mining Corporation Limited, Shri Shashikant Tiwari Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011**,

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 796वी बैठक दिनांक 23.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार उक्त खदान क्षेत्र के बीचो–बीच स्थित स्टॉप डेम एवं खदान क्षेत्र से 640 मीटर की दूरी पर स्टॉप डेम स्ट्रक्चर परिलक्षित है, अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* अनुसार स्टॉप डेम स्ट्रक्चर से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है, अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा

16. **Case No P2/1672/2025, Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method) in an area 1.265 ha., for production capacity of 2,00,005 Cum/Year at Khasra No.- 780/2, Village Ahmedanagar Tehsil Vidisha Dist. Vidisha (M.P.) M/s. Bansal Const. Works Pvt. Ltd., Director Shri Anil Bansal, 3rd Floor,Tava Complex, Bittan Market E5, Arera Colony, Bhopal**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 803 वी बैठक दिनांक 19.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित प्र्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 895वी बैठक दिनांक 13.09.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण पया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेज खसरा नम्बर 780/2 के प्रस्तुत किये गये है किन्तु भू–स्वामी की सहमति खसरा नम्बर 783/1/1 एवं 783/2/1 की प्रस्तुत की गई है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त खदान के सही खसरे नम्बर की भू–स्वामी की सहमति 10 दिवस में परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड की जाये। तदानुसार परियोनजा प्रस्तावक को सूचित किया जाये। "

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 15.09.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए एवं SEAC की 803 वी बैठक दिनांक 19.06.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02. 2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – विदिशा के आदेश क्रमांक 7002 दिनांक 19.11.2024 के अनुसार अस्थायी अनुज्ञा की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है एवं संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा दिनांक 24.03.2025 के माध्यम से 01 वर्ष के लिये खनन योजना अनुमोदित की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता अनुमोदित खनन योजना दिनांक 24.03. 2025 से दिनांक 23.03.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**